विषय: **हेल्थकेयर वित्तीय सहायता नीति** (HealthCare Financial Assistance Policy)

प्रयोजनः जाति या नस्ल, आयु, लिंग, नृजातीय पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय मूल, नागरिकता, प्राथमिक भाषा, धर्म, शिक्षा, रोज़गार या विद्यार्थी स्थिति, मनोवृत्ति, संबंध, बीमा व्याप्ति, सामुदायिक प्रतिष्ठा, या अन्य किसी भी भेदभावपूर्ण विभेदक कारक के आधार पर भेदभाव किए बिना, समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाशील वित्तीय सहायता के दिशानिर्देश स्थापित करना।

विस्तार:

- प्रबंधक वित्त और व्यापार कार्यालय
- प्रशासनिक निदेशक (AD)
- मुख्य नर्सिंग अधिकारी (CNO)
- नामित कर्मचारी

परिभाषा: **अबीमित** को, "ऐसे व्यक्ति जो वाणिज्यिक या निजी बीमा व्याप्ति (कवरेज), मेडिकेयर या मेडिकेड से विहीन हैं, के रूप में परिभाषित किया गया हैं; इनमें वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके लाभ निःशेष हो गए हैं।"

AGB – बीमा व्याप्ति वाले व्यक्तियों को आपातस्थिति या चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक अन्य देखभाल के लिए सामान्यतः बिल की गईं राशियां (अमाउंट्स जनरली बिल्ड)।

FPG – यू.एस. स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, केंद्रीय निर्धनता दिशानिर्देश।

HCAP – ओहायो अस्पताल देखभाल आश्वासन कार्यक्रम।

HFA – हेल्थकेयर वित्तीय सहायता।

PFS – रोगी वित्तीय सेवाएं विभाग।

SNF – कुशल नर्सिंग सुविधा।

नीति:

1. स्वास्थ्य-देखभाल वित्तीय सहायता (हेल्थकेयर फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस, HFA) एक कार्यक्रम हैं, जो ऐसे स्वास्थ्य बीमा विहीन रोगियों और आंशिक बीमा व्याप्ति वाले रोगियों (अर्थात अबीमित एवं अल्पबीमित) को कवर करता हैं, जो यहां इस प्रलेख में वर्णित आय के तथा अन्य पात्रता मानदंडों को संतुष्ट करते हैं।
2. HFA नीति IOS द्वारा प्रदत्त समस्त आपातकालीन देखभाल एवं चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होती हैं।
3. HFA नीति IOS इकाइयों में आपातकालीन देखभाल या चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने वाले कुछ प्रदाताओं पर लागू नहीं होती हैं। प्रदाताओं की सूची एक अलग प्रलेख में एवं ऑनलाइन रखी गई हैं। आम जनता इस नीति के अंत में दी गई संपर्क सूची के माध्यम से उक्त सूची निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं।

प्रक्रिया: <u>**HFA पात्रता के मानदंड**</u>:

- **आय**
  - HFA के लिए आवेदन करने हेतु, रोगी या उसके परिजन को एक आवेदन पूरा करना होता हैं जिसमें आवेदन की तिथि या सेवा की तिथि से पहले के न्यूनतम 3 माह (अधिकतम 12 माह) की सकल आय शामिल करनी होती हैं। डिस्चार्ज करके किसी SNF में भेजे गए रोगियों, मृत्यु को प्राप्त हुए संपदाहीन रोगियों, तथा प्रलेखित रूप से निराश्रय रोगियों को छोड़कर अन्य सभी रोगियों के लिए आय का प्रमाण आवश्यक हैं।
  - जहाँ अन्य विधियों से आय सत्यापन प्राप्त न हो सकता हो उन स्थितियों में तृतीय पक्ष आय स्कोरिंग का उपयोग किया जा सकता हैं।

- **संपत्ति**
  - ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें व्यक्तियों ने आय सूचित नहीं की होती हैं पर उनके पास स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं हेतु भुगतान के लिए उल्लेखनीय परिसंपत्तियां होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, IOS उन परिसंपत्तियों का आकलन जीवन निर्वाह व्ययों, जिनमें स्वास्थ्य-देखभाल व्यय शामिल हैं, के लिए उपलब्ध नकदी के रूप में कर सकता हैं।
- **स्वास्थ्य बचत खाते**
  - IOS इस बात का प्रमाण आवश्यक हैं कि स्वास्थ्य-देखभाल वित्तीय सहायता प्रदान करने से पहले स्वास्थ्य बचत खाता (हेल्थ सेविंग्स अकाउंट) और/या चिकित्सा बचत खाता (मेडिकल सेविंग्स अकाउंट) की निधियां समाप्त हो चुकी हों।
- **संघीय सथ्नर्धनता दिशा-सथ्नर्देश**
  - HFA पात्रता FPG के 200% तक के सथ्वस्तारित आय स्तरों पर आधारित हैं। अनुमोदन परिजनों की संखथ्या और पारिवारिक आय पर आधारित हैं।
  - यदि कोई आसथ्शरथ्त अशक्त हैं और 18 वर्ष से असथ्धक आयु का हो तो उसे परिजनों की संखथ्या में शासथ्मल किया जाएगा।
  - सेवा की सथ्तसरथ्थ मोरथ्वी एफ़पीजी आवेतन परिथ्तया के सथ्लए पभारथ्वी होते हैं। वे हर साल **स्वास्थ्य और मानव सेवा सथ्वभाग** (HHS) थ्विारा *संघीय रसर्थ्तस्र* में ारी किए ाते हैं। तर्वमान और ऐसथ्तहासथ्सक FPGs यहाा उपलबथ्त हैं https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
  - FPG के 200% या उससे कम आय वाले वथ्यसथ्क्तयों को स्वाट्य -देखभाल सेवाओं में 100% छूट परथ्ताप्त होती हैं।
- **स्वाट्य बीमा बाज(आदान-परथ्दान) सहभासथ्गता**
  - यदि रोगी ने स्वाट्य बीमा वथ्यासथ्स खरीदना या बाजार/एकथ्सचेंज में पवेरथ्श करना नहीं चुना हैं, तो जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनथ्हें सथ्हायता नहीं दी जा सकती हैं। इस नीि त के अपवादों में सथ्डस्चार्ज करके किसी SNF में भेजे गए रोगी, मृयु को परथ्ताप्त हुए संपदाहीन रोगी, त ा पलेरथ्सथ्खत रूप से सथ्नराशयरथ रोगी शासथ्मल हैं।
  - रोगी को सीआर-127 अबीसथ्मत रोसथ्गयों हेतु भुगतान नीि त के अनुसरण में स्व-भुगतानी माना जाएगा और उसे स्व-भुगतान छूट सथ्मलेगी, उसे भुगतान योजना की पेशकश की जाएगी आदि। रोगी थ्विारा बीमा आवशथ्यकताओं को पूरथ् कर लेने पर स्वाट्य -देखभाल सथ्हायता की पेशकश की जा सकती हैं।
- **भौगोसथ्लक क्षेत्र**
  - IOS थ्विारा सेसथ्वत समुदाय (एलन काउंटी और एलन काउंटी की संस्पर्शी काउंटियां) में रहने वाले रोसथ्गयों के सथ्लए स्वाट्य -देखभाल सथ्हायता की पेशकश की जाएगी। भौगोसथ्लक क्षेत्र से बाहर के रोसथ्गयों के सथ्लए यह आवशथ्यक हैं कि छूटदायी परिसथ् रथ्सथ्तयां शारथ्सकीय सथ्नदेशक (एडसथ्मसथ्नस्ट्रेटिव डायरेकथ्टर) थ्विारा पलेरथ्सथ्खत एवं अनुमोदित की जाएं।
- **कटौतीयोगथ्य रासथ्श**
  - हस्ताक्षरित आवेदन परथ्ताप्त होने पर, जानकारी की समीक्षा की जाएगी, आय का स थ्यापन किया जाएगा एवं
  - HFA के सथ्लए अर्ह नहीं होने वाले त ा बीमा के बाद स्व-भुगतान शेष वाले रोसथ्गयों के सथ्लए, रोगी की कटौती पर ... भुगतान आवशथ्यकता ...

पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। रोगी को निर्धारण के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा।

- **प्रकल्पित पात्रता**
  - कुछ वैयक्तिक जीवन परिस्थितियों के आधार पर रोगियों को वित्तीय सहायता के लिए परिकल्पित रूप से पात्र मान लिया जाता हैं, इन परिस्थितियों में निम्नांकित शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं
    - डिस्चार्ज करके किसी SNF में भेजा गया रोगी
    - मृत्यु को प्राप्त हुआ संपदाहीन रोगी.
    - राज्य-वित्तपोषित विहितीकरण (प्रेस्क्रिप्शन) कार्यक्रम;
    - निराश्रित या किसी निराश्रित क्लीनिक से देखभाल पाया रोगी;
    - महिला, नवजात एवं बाल (WIC) कार्यक्रमों में सहभागिता;
    - फ़ूड स्ट्याम्प पात्रता;
    - आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालय भोजन कार्यक्रम पात्रता;
    - ऐसे अन्य राज्य या स्थानीय सहायता कार्यक्रमों हेतु पात्रता जो वित्तपोषित नहीं हैं (उदा. मेडिकेड स्पेंड-डाउन); एवं
    - कम आय/आर्थिक सहायता प्राप्त आवासन मान्य पते के रूप में प्रदान किया गया हैं।
  - जिन रोगियों को परिकल्पित रूप से वित्तीय सहायता हेतु पात्र पाया गया हैं उन्हें 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- **सहयोग**
  - रोगी/गारंटीदाता सभी तृतीय पक्ष जानकारी, जिसमें मोटर वाहन या अन्य दुर्घटना की जानकारी, लाभ समन्वयन (कोऑर्डिनेशन ऑफ़ बेनिफ़िट्स) के अनुरोध, पहले से मौजूद जानकारी, या दावों आदि के अधिनिर्णय हेतु आवश्यक अन्य जानकारी शामिल हैं, प्रदान करने में सहायता करेंगे।
  - आवेदन का प्रक्रमण किए जाने के दौरान, IOS यह अनुरोध करेगा कि जो रोगी मेडिकेड हेतु पात्र हो सकते हैं वे मेडिकेड के लिए आवेदन करें। स्वास्थ्य-देखभाल सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हैं कि रोगी ने मेडिकेड के लिए आवेदन किया हो और निम्नांकित को छोड़कर अन्य किसी कारण से उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हो:
    - लागू नहीं हुआ;
    - रोगी ने आवेदन प्रक्रिया का पालन नहीं किया;
    - रोगी ने अनुरोधित सत्यापन प्रदान नहीं किए।
- **आवेदन की शुद्धता**
  - यदि किसी आवेदन की शुद्धता (सही होने) के संबंध में कोई यथोचित संदेह हैं तो इस HFA नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता अस्वीकृत की जा सकती हैं। यदि रोगी/गारंटीदाता आवेदन के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक प्रलेख और/या अनुरोधित जानकारी प्रदान करता हैं तो वित्तीय सहायता के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जा सकता हैं। पुनर्विचार की समीक्षा और उसकी हैंडलिंग मामला-दर-मामला आधार पर की जाएगी।

<u>**HFA के लिए आवेदन प्रक्रिया:**</u>

- शीघ्र पहचान और आवेदन प्रक्रिया के आरंभ को सुगम बनाने के लिए प्रवेश-पूर्व एवं प्रवेश / पंजीयन साइटों पर आवेदन प्रपत्र

उपलब्ध हैं। इस नीति के अंत में दी गई संपर्क सूची के माध्यम से IOS से संपर्क करके भी आवेदन प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

- IOS आय, परिजनों की संख्या या आवेदन पर जो भी जानकारी अस्पष्ट हो, उसका मौखिक स्पष्टीकरण स्वीकार कर सकता हैं।
- अंतर्रोगियों (इनपेशेंट्स) को प्रत्येक प्रवेश के लिए एक आवेदन पूर्ण करना आवश्यक हैं, बशर्ते रोगी को समान अंतर्निहित (रोग-) स्थिति के लिए डिस्चार्ज (छुट्टी दिए जाने) के 45 दिनों के अंदर दोबारा भर्ती न किया गया हो।
- अनुमोदित बहिर्रोगी आवेदन, सेवा की आरंभिक तिथि से 90 दिनों तक प्रभावी हैं।
- अंतर्रोगी आवेदन का उपयोग अंतर्रोगी प्रवेश के पहले दिन के तुरंत बाद की 90-दिनों की अवधि में रोगी हेतु बहिर्रोगी सेवाओं को कवर करने के लिए भी किया जा सकता हैं।

<u>विपत्तिपूर्ण स्थितियों के लिए वित्तीय सहायता:</u>

- इस नीति के अंतर्गत विनाशकारी/विपत्तिकालीन परिस्थिति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।
- विपत्तिकालीन वित्तीय सहायता को ऐसे रोगी के रूप में परिभाषित किया गया हैं जिसके चिकित्सा या चिकित्सालय बिल, सभी तृतीय पक्षों के भुगतान कर चुकने के बाद, रोगी की कुल सूचित आय के 25% से अधिक हैं और रोगी शेष बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

<u>रोगियों पर प्रभारित होने वाली राशियों की गणना का आधार:</u>

- इस नीति के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण हो जाने के बाद, वित्तीय सहायता हेतु पात्र रोगी पर आपातकालीन या चिकित्सीय दृष्टि से अनिवार्य अन्य देखभाल के लिए एजीबी से अधिक की राशि प्रभारित नहीं की जाएगी। IOS वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए अर्ह होने वाले रोगियों के लिए AGB को उस राशि के बराबर तय करेगा जो मेडिकेयर द्वारा देखभाल के लिए तय की जाती (जिसमें मेडिकेयर द्वारा प्रतिपूर्त राशि और सह-भुगतान, सह-बीमा एवं कटौतियों के रूप में भुगतान के लिए लाभार्थी जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता वह राशि, दोनों शामिल हैं)।
- IOS इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अर्ह होने वाले व्यक्तियों को सकल प्रभार न तो बिल में शामिल करता हैं और न ही उनसे उनके भुगतान की अपेक्षा करता हैं।
- अबीमित रोगियों के लिए ऊपर यथा परिभाषित AGB से कम का भुगतान करना आवश्यक हैं।

<u>भुगतान नहीं करने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयां:</u>

- भुगतान नहीं करने की स्थिति में IOS द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयां नीति सीआर-109, बिलिंग एवं भुगतान: सामान्य वक्तव्य, में शामिल हैं। आम जनता इस नीति के अंत में दी गई संपर्क सूची के माध्यम से IOS से संपर्क करके इस पृथक नीति की निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकती हैं।

<u>HFA नीति के व्यापक प्रचार-प्रसार के उपाय:</u>

- IOS इस HFA नीति, आवेदन प्रपत्र एवं नीति के सरल भाषा सारांश को अपनी वेबसाइट पर व्यापक रूप से उपलब्ध कराता हैं,

और सेवित समुदायों में नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए अतिरिक्त उपाय करता हैं।

- IOS अंग्रेज़ी में सीमित प्रवीणता रखने वाले सभी महत्त्वपूर्ण जनसमूहों को भी, इस HFA नीति, आवेदन प्रपत्र, और नीति के सरल भाषा सारांश का अनुवाद, उन जनसमूहों द्वारा बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा(ओं) में करवाकर, समायोजित करता हैं।

ओहायो निवासियों हेतु सूचना—ओहायो हॉस्पिटल केयर एश्योरेंस प्रोग्राम *(HCAP,* ओहायो चिकित्सालय देखभाल आश्वस्ति कार्यक्रम*)*: IOS ऐसे व्यक्तियों को वैयक्तिक, मूलभूत, चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक, चिकित्सालय स्तर की सेवाएं प्रदान करता हैं, जो ओहायो के निवासी हैं, मेडिकेड प्राप्तकर्ता नहीं हैं, और जिनकी आय संघीय निर्धनता रेखा पर या उससे नीचे हैं। कवर की गई सेवाओं में प्रत्यारोपण सेवाओं तथा प्रत्यारोपण से संबंधित सेवाओं के अपवाद के साथ, ओहायो मेडिकेड कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अंतर्रोगी एवं बहिर्रोगी सेवाएं शामिल हैं। अशक्तता वित्तीय सहायता (डिसएबिलिटी फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस) के प्राप्तकर्ता सहायता के लिए अर्ह हैं। उक्त नीति के प्रयोजन से, उस व्यक्ति को ओहायो का निवासी माना जाएगा जो ओहायो में स्वेच्छा से निवास करता हैं तथा किसी अन्य राज्य में सार्वजनिक सहायता प्राप्त नहीं करता हैं। ओहायो निवासियों हेतु वित्तीय सहायता के अनुरोधों की प्रक्रिया पहले HCAP के लिए की जाती हैं, और उसके बाद ही वे इस HFA नीति के प्रावधानों के अधीन आते हैं।

IOS HFA नीतियों से संबंधित पत्र-व्यवहार निम्नांकित पते पर भेजा जाना चाहिए:

इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरी
सेवा में: बिलिंग डिपार्टमेंट
801 मेडिकल ड्राइभ
लिमा, ओहायो 45804

Institute For Orthopaedic Surgery
Attn: Billing Department
801 Medical Drive
Lima, Ohio 45804

IOS HFA नीतियों से संबंधित प्रश्नों के लिए यहां संपर्क करें: (567) 940-3263

अतिरिक्त जानकारी यहां उपलब्ध हैं: www.ioshospital.com / Hospital Billing & Financial Assistance.